

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर**

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 201 सन 2021

अनवान :-

1. परमिन्द्रसिंह पुत्र पृथ्वीराज जाति कुम्हार( प्रजापति) निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ हाल निवासी डब्बवाली जिला सिरसा

वा  
दी

बनाम

1. सुमित्रा पत्नी स्व पृथ्वीराज जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ हाल निवासी डब्बवाली जिला सिरसा।
2. मोनिका पुत्री पृथ्वीराज जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ हाल निवासी डब्बवाली जिला सिरसा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री राजपाल झोरड अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 18/08/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 507/490 के खसरा न0 194/3 की 7. 2080हैक् मेंसे 1771/7208 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता पृथ्वीराज पुत्र रामेश्वरलाल के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि पृथ्वीराज पुत्र रामेश्वरलाल के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता हे वादी के पिता पृथ्वीराज पुत्र रामेश्वरलाल का देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 है जो पृथ्वीराज पुत्र रामेश्वरलाल के नाम से दर्ज भूमि अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 वादी की माता एवं मृत्क पृथ्वीराज पुत्र रामेश्वरलाल की पत्नी , प्रतिवादी संख्या 2 वादी की बहन एवं मृत्क पृथ्वीराज पुत्र रामेश्वरलाल की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने पुत्र/भाई वादी के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की पृथ्वीराज पुत्र रामेश्वरलाल जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने निवेदन किया की वाद भूमि उनके पति/पिता पृथ्वीराज पुत्र रामेश्वरलाल के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 जो वादी की माता/बहन है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी के

उपखण्ड अधिकारी

नोहर

हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 3 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 507/490 के खसरा न0 194/3 की 7.2080हैक् मेंसे 1771/7208 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता पृथ्वीराज पुत्र रामेश्वरलाल के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि पृथ्वीराज पुत्र रामेश्वरलाल के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता हे वादी के पिता पृथ्वीराज पुत्र रामेश्वरलाल का देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1,2 है जो पृथ्वीराज पुत्र रामेश्वरलाल के नाम से दर्ज भूमि अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 वादी की माता एवं मृतक पृथ्वीराज पुत्र रामेश्वरलाल की पत्नी, प्रतिवादी संख्या 2 वादी की बहन एवं मृतक पृथ्वीराज पुत्र रामेश्वरलाल की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 1,2 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने पुत्र/भाई वादी के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 507/490 के खसरा न0 194/3 की 7.2080हैक् मेंसे 1771/7208 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता पृथ्वीराज पुत्र रामेश्वरलाल के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता पृथ्वीराज पुत्र रामेश्वरलाल के नाम से दर्ज है जिसका देहान्त हो चुका है जो मृत्यू प्रमाण पत्र से साबित है वादी का कथन है पृथ्वीराज पुत्र रामेश्वरलाल के जायज व कानुनी वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1,2 है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1, 2 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की पृथ्वीराज पुत्र रामेश्वरलाल के नाम दर्ज भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1,2 ही हकदार है।


वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते हैं के आधार पर वाद वादी

साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 507/490 के खसरा न0 194/3 की 7.2080 हैक् मैसे 1771/7208 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मृतक पृथ्वीराज पुत्र रामेश्वरलाल के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18/08/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. परमिन्द्रसिंह पुत्र पृथ्वीराज जाति कुम्हार ( प्रजापति ) निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ हाल निवासी डब्बवाली जिला सिरसा

वादी

बनाम

1. सुमित्रा पत्नी स्व पृथ्वीराज जाति कुम्हार ( प्रजापति ) निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ हाल निवासी डब्बवाली जिला सिरसा।
2. मोनिका पुत्री पृथ्वीराज जाति कुम्हार ( प्रजापति ) निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ हाल निवासी डब्बवाली जिला सिरसा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 201 सन 2021 निर्णय दिनांक- 18/08/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 507/490 के खसरा न0 194/3 की 7.2080 हैक् मेंसे 1771/7208 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मृतक पृथ्वीराज पुत्र रामेश्वरलाल के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे वय्य वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/08/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )  
नोहर

सत्यमेव जयते